

छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण  
मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनान्तर्गत कौशल प्रशिक्षण के संबंध में दिशा-निर्देश

-- 00 --

1. वीटीपी पंजीयन की प्रक्रिया :-

- कौशल प्रशिक्षण हेतु पूर्व से पंजीकृत समस्त वीटीपी को नवीन गाईडलाईन के अनुसार पुनः पंजीयन किया जाना अनिवार्य होगा।
- वीटीपी के रूप में पंजीयन हेतु आवेदित संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदाता) विनियम 2013, के कंडिका क्रमांक 2.1 के अनुसार पात्र होना अनिवार्य होगा। (संलग्नक - ध्वज ब)
- आवेदित संस्था द्वारा वीटीपी पंजीयन हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जाएगा, जिसमें आवेदित संस्था द्वारा संबंधित कोर्स में कौशल प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध आवश्यक अधोसंरचना यथा भवन कोर्स के अनुरूप उपकरण, औजार, लैब सेट-अप, क्लासरूम, इत्यादि की फोटोयुक्त जानकारी निर्धारित प्रारूप (स्व-ग्रेडिंग का प्रारूप अ एवं ब) में अपलोड की जायेगी।
- आवेदित संस्था द्वारा आवेदन के साथ पंजीयन शुल्क के रूप में राशि रु. 10,000 का डिमांड ड्राफ्ट (नॉन-रिफन्डेबल) जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के नाम पर देय हो, प्रस्तुत करना होगा। ऑन लाईन किये गये आवेदन की हार्डकॉपी डिमांड ड्राफ्ट के साथ संबंधित जिला कौशल विकास प्राधिकरण के कार्यालय में 7 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। संस्था में नवीन कोर्स जोड़ने हेतु प्रति कोर्स राशि रु. 1500 निर्धारित होगी। शासकीय संस्थान को पंजीयन शुल्क में छूट प्रदान की जायेगी।
- आवेदित संस्था द्वारा किये गये आवेदन की प्रारंभिक जांच (वीटीपी पंजीयन हेतु आवश्यक पात्रता संबंधी दस्तावेजों की जांच), कर सहायक संचालक जिला कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदन प्राप्ति के 3 दिवस के भीतर संस्था का निरीक्षण किये जाने हेतु वीटीपी निरीक्षण कमेटी को आवेदन अग्रेषित किया जायेगा अथवा आवेदन में कमी पाये जाने की स्थिति में, कारण सहित आवेदित संस्था को वापस करेगा।
- राज्य प्राधिकरण द्वारा वीटीपी निरीक्षण कमेटी का गठन, कौशल विकास/तकनीकी शिक्षा विभाग की अनुशंसा के अनुरूप जिले में पदस्थ अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए किया जाएगा। वीटीपी निरीक्षण कमेटी में तीन सदस्य होंगे -
  - पॉलिटैक्निक के प्राचार्य अथवा विभागाध्यक्ष
  - संबंधित जिले के सहायक संचालक जिला कौशल विकास प्राधिकरण
  - सेक्टर विशेषज्ञ - पॉलिटैक्निक/आई.टी.आई/कृषि विज्ञान केन्द्र अथवा अन्य शासकीय संस्था में कार्यरत सेक्टर से संबंधित व्याख्याता/अध्यापक/विशेषज्ञ होंगे।

- वीटीपी निरीक्षण कमेटी द्वारा सहायक संचालक से निरीक्षण हेतु आवेदन प्राप्त होने के 7 दिवस के भीतर, आवेदित संस्था का निरीक्षण करने के साथ-साथ स्व-ग्रेडिंग प्रारूप का सत्यापन कर प्रतिवेदन सहायक संचालक, जिला कौशल विकास प्राधिकरण को अपनी अनुशंसा के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।
- निरीक्षण कमेटी द्वारा सम्पूर्ण निरीक्षण प्रक्रिया की विडियोग्राफी की जायेगी, जिसकी एक प्रति राज्य प्राधिकरण को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- निरीक्षण कमेटी के प्रतिवेदन प्राप्त होने के 3 दिवस के भीतर सहायक संचालक जिला कौशल विकास प्राधिकरण आवेदित संस्था का वीटीपी पंजीयन अथवा आवेदन निरस्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगा।
- निरीक्षण कमेटी के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला कौशल विकास प्राधिकरण अनुशंसा पत्र राज्य प्राधिकरण को निर्धारित 7 दिवस के भीतर प्रेषित करेगा।
- कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदित संस्था का वीटीपी पंजीयन के लिए अनुशंसा नहीं किये जाने की स्थिति में आवेदित संस्था को कारण सहित सूचना वेब-पोर्टल के माध्यम से दी जायेगी।
- जिला से प्राप्त आवेदन को 15 दिवस के भीतर आवेदित संस्था के निरीक्षण प्रक्रिया के दौरान की गई विडियोग्राफी का अवलोकन कर संस्था का वीटीपी के रूप में पंजीयन अथवा निरस्तीकरण का अनुमोदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।
- वीटीपी पंजीयन की दशा में ऑनलाईन वीटीपी पंजीयन क्रमांक, लॉग-इन यूजर आईडी तथा पासवर्ड संबंधित जानकारी संस्था को उनके पंजीकृत ई-मेल पर प्राप्त होगा।
- निरस्तीकरण की दशा में, कारण सहित सूचना आवेदित संस्था को पंजीकृत ई-मेल पर अथवा ऑनलाईन आवेदन स्टेट्स पर वेब-पोर्टल के माध्यम से दी जायेगी।
- पंजीयन उपरांत आवेदित संस्थान से राशि रु. 50,000 की बैंक गारंटी (शासकीय संस्थान को छूट) तथा शासकीय संस्थान द्वारा प्रशिक्षण हेतु ट्रेनिंग पार्टनर से अनुबंध की दशा में उक्त बैंक गारंटी ट्रेनिंग पार्टनर से लिया जाना आवश्यक होगा।

### **पंजीयन प्रपत्र:-**

वीटीपी पंजीयन प्रपत्र को दो भाग (अ एवं ब) में विभाजित किया गया है, जिसे आवेदित संस्था द्वारा आवेदन के समय ऑनलाईन पोर्टल पर भरा जायेगा। **पंजीयन प्रपत्र का सत्यापन वीटीपी निरीक्षण कमेटी द्वारा निरीक्षण के दौरान किया जायेगा।**

### **प्रपत्र का प्रथम भाग- अ**

**भाग अ अनिवार्य है,** जिसमें मुख्यतः निम्नलिखित बिन्दुओं का समावेश किया गया है :-

- सोसायटी/फर्म/कंपनी इत्यादि की जानकारी
- जियो टैग फोटो के साथ वीटीपी संस्था का लोकेशन
- वीटीपी बिल्डिंग लेआउट
- लैब उपकरण के खरीदी के बिल

- एक सेक्टर के लिए एक लैब की उपलब्धता
- आधार आधारित बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन
- आई पी आधारित सभी कक्षाओं एवं लैब में सीसीटीवी कैमरा
- मानव संसाधन - केन्द्र प्रमुख, नियोजन अधिकारी, प्रशिक्षक एवं सॉफ्ट स्किल ट्रेनर

## प्रपत्र का द्वितीय भाग- ब

भाग- ब अंक आधारित होगा, अंको का विभाजन निम्नानुसार किया गया है :-

क्र.	मापदंड	निर्धारित अंक	क्र.	मापदंड	निर्धारित अंक
1	भवन का प्रकार	10	9	स्वच्छ जल की उपलब्धता	2
2	संस्थान का क्षेत्रफल	10	10	फायर फायटिंग उपकरण	4
3	कक्ष की साज सज्जा	6	11	स्वच्छता व हायजीन	4
4	लैब की साज सज्जा	6	12	स्वास्थ्य व सुरक्षा	5
5	नियोजन की उपलब्धि	10	13	पार्किंग एवं पेन्ट्री की सुविधा	6
6	पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक पहुंच	8	14	एअर कंडिशन की सुविधा	4
7	ट्रांसपोर्ट की सुविधा	8	15	कम्प्यूटर कक्ष	6
8	वाशरूम की सुविधा (M/F/pwd)	4	16	लायब्रेरी की सुविधा	7
<b>कुल अंक - 100</b>					

## 2. प्रशिक्षण बैच निर्माण, आबंटन, प्रशिक्षण के संचालन की प्रक्रिया तथा कोर्स :-

### ● मोबिलाईजेशन -

- रोजगार कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगार युवाओं के आकड़े का उपयोग किया जायेगा।
- मोबिलाईजेशन कार्य संबंधित वीटीपी द्वारा किया जाना है।
- लाईवलीहुड कॉलेज/शासकीय संस्थाओं में प्रशिक्षण हेतु युवाओं के मोबिलाईजेशन के लिए प्राचार्य/सहायक परियोजना अधिकारी/ सहायक संचालक, जिला कौशल विकास प्राधिकरण उत्तरदायी होंगे।
- शासकीय वीटीपी की दशा में मोबिलाईजेशन टीम का गठन कर मोबिलाईजेशन कार्य संपन्न किया जायेगा।

### ● काऊंसलिंग -

- काऊंसलिंग की स्टेन्डर्ड प्रक्रिया अपनायी जायेगी जिसमें लघु फिल्म, प्रस्तुतीकरण तथा साइकोमेट्रिक टेस्ट का समावेश किया जायेगा। लघु फिल्म एवं प्रस्तुतीकरण राज्य प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
- कौशल प्रशिक्षण हेतु हितग्राहियों की काऊंसलिंग जनपद स्तर पर आयोजित की जायेगी।

## ● बैच निर्माण -

- नियोजन सुनिश्चित करने वाले वीटीपी को बैच का आबंटन किया जायेगा।
- योजनान्तर्गत एक हितग्राही को केवल एक बार प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षण उपरांत मूल्यांकन में असफल होने पर वह पुनः स्वयं परीक्षा शुल्क का भुगतान कर Direct Candidate Assessment (DCA) के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा।
- योजनान्तर्गत पूर्व से प्रशिक्षित हितग्राही को राज्य द्वारा चिन्हांकित उच्च स्तर (Up-Skilling) के कोर्सेस/जॉब रोल में कौशल प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।

## ● नवीन बैच हेतु आवेदन -

- नवीन बैच निर्माण हेतु वीटीपी द्वारा सहायक संचालक को नियोजक का मांग पत्र, प्रशिक्षक की जानकारी, सप्ताहिक प्रशिक्षण योजना तथा कांऊसलिंग से संबंधित जानकारी के साथ ऑनलाईन आवेदन अग्रेषित किया जायेगा।
- सहायक संचालक द्वारा नियोजक के मांग पत्र, प्रशिक्षक की जानकारी तथा कांऊसलिंग से संबंधित जानकारी का सत्यापन कर कलेक्टर के अनुमोदन उपरांत 7 दिवस के भीतर राज्य प्राधिकरण को प्रशिक्षण बैच (TBN) स्वीकृति हेतु ऑन लाईन आवेदन अग्रेषित किया जायेगा।

## ● बैच की स्वीकृति

- राज्य कार्यालय द्वारा आवेदित बैच का परीक्षण किया जायेगा जिसमें मुख्यतः नियोक्ता का मांग पत्र, वीटीपी की ग्रेडिंग, प्रशिक्षक का विवरण, पूर्व नियोजन का रिकार्ड तथा वर्तमान में संचालित बैच संख्या के आधार पर टीबीएन की स्वीकृति के संबंध में कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त के आधार पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य प्राधिकरण द्वारा बैच की स्वीकृति/निरस्तीकरण, आवेदन प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर किया जायेगा।

## ● प्रशिक्षण

- प्रशिक्षण का संचालन प्रातः 9.00 बजे से संध्या 6.00 बजे के मध्य किया जायेगा।
- गैर आवासीय प्रशिक्षण की दशा में प्रतिदिन अधिकतम 4 घंटे तक प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।
- वीटीपी में एक कोर्स में दो बैच संचालित होने की स्थिति में दोनो बैचों के मध्य न्यूनतम 1 घंटा का अंतराल होना अनिवार्य होगा।
- प्रशिक्षण संचालन के दौरान अवकाश के रूप में केवल रविवार एवं शासकीय अवकाश मान्य होंगे।
- संचालित जॉब रोल/कोर्स में एन.एस.क्यू.एफ आधारित पाठ्यक्रम से संबंधित ट्रेनिंग मटेरियल का उपयोग किया जायेगा।

## ● प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति

- आधार आधारित बायोमेट्रिक डिवार्स के माध्यम से प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति दर्ज की जायेगी।
- प्रशिक्षणार्थियों के साथ-साथ प्रशिक्षक की उपस्थिति भी दर्ज की जायेगी। प्रशिक्षक की उपस्थिति के पश्चात् ही प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति मान्य की जायेगी।

- प्रशिक्षण उपरांत मूल्यांकन हेतु प्रशिक्षणार्थी की न्यूनतम उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य है।
- प्रशिक्षणार्थी की 75 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर प्रायोजक विभाग द्वारा वीटीपी के माध्यम से मूल्यांकन शुल्क का भुगतान, राज्य प्राधिकरण को किया जायेगा, किंतु न्यूनतम 10 प्रशिक्षणार्थियों का मूल्यांकन शुल्क का भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।
- बैच प्रारंभ होने के एक माह में न्यूनतम 10 प्रशिक्षणार्थियों की औसत उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होने की स्थिति में बैच को निरस्त कर दिया जायेगा।

### ● प्रशिक्षक की योग्यता

- प्रशिक्षक की शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता, कोर्स के लिए निर्धारित योग्यता तथा अनुभव के अनुरूप होना अनिवार्य है।
- शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता के साथ-साथ प्रशिक्षक का प्रशिक्षण (TOT) का प्रमाण पत्र भी आवश्यक होगा।
- प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षक में परिवर्तन करने की दशा में राज्य प्राधिकरण को सूचित किया जाना अनिवार्य होगा।

### ● अनुवीक्षण एवं निरीक्षण

- समस्त वीटीपी में कक्षाओं एवं प्रयोगशालाओं में आईपी आधारित सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य होगा।
- सहायक संचालक जिला कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षण बैच के समाप्ति तथा मूल्यांकन पूर्व न्यूनतम 2 निरीक्षण अनिवार्य होगा।
- साप्ताहिक प्रशिक्षण योजना प्रत्येक वीटीपी के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा
- मूल्यांकन के समय कलेक्टर द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- राज्य द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देश अथवा नियमों के उल्लंघन किये जाने की दशा में वीटीपी पर अधिकतम राशि रु. 50,000 तक का दंड अधिरोपित किया जा सकेगा।

### ● ऑन द जॉब ट्रेनिंग (OJT)

- प्रशिक्षण पश्चात् तथा मूल्यांकन के पूर्व ऑन द जॉब ट्रेनिंग अनिवार्य होगी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग की न्यूनतम अवधि 7 दिवस होगी।
- ऑन द जॉब ट्रेनिंग से संबंधित जानकारी वीटीपी द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा। यह सुविधा वीटीपी की लॉग-इन पर उपलब्ध करायी जायेगी।

### ● प्रशिक्षण हेतु कोर्स एवं कोर्स सामाग्री

- माड्यूलर इम्पलॉयेबल स्किलस् (MES) के स्थान पर राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (NSQF) आधारित कोर्सेस में प्रशिक्षण का संचालन किया जायेगा।
- वीटीपी द्वारा बैच प्रारंभ होने पर प्रशिक्षणार्थियों को 48 घंटों की सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग अनिवार्य रूप से दी जायेगी।

### 3. मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत मूल्यांकन एवं प्रमाणन की प्रक्रिया

#### ● मूल्यांकन

- मूल्यांकन एजेंसी को प्रति बैच न्यूनतम 10 प्रशिक्षणार्थियों के मूल्यांकन का भुगतान किया जा सकेगा।
- आधार आधारित बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से मूल्यांकनकर्ता की उपस्थिति दर्ज की जायेगी।
- मूल्यांकन एजेंसी को प्रथम बैच के आबंटन के पूर्व राशि 50,000 का बैंक गारंटी जमा करना अनिवार्य होगा।
- मूल्यांकनकर्ता द्वारा नियम विरुद्ध कार्य किये जाने पर अधिकतम राशि रू. 50,000 तक का दंड मूल्यांकन एजेंसी पर अधिरोपित किया जा सकेगा।

#### ● प्रमाणीकरण

- मूल्यांकन के 15 दिवस उपरांत सफल युवाओं को डिजिटल प्रमाण-पत्र डाउनलोड करने की सुविधा पोर्टल पर प्रदान की जायेगी।

### 4. प्रशिक्षण उपरांत नियोजन तथा नियोजित युवाओं का ट्रेकिंग हेतु प्रक्रिया

#### ● प्लेसमेंट कैम्प

- रोजगार कार्यालय तथा जिला कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा नियोजन के लिए एक कलेण्डर तैयार कर कार्यवाही की जायेगी।
- सेक्टरवार अलग-अलग प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जायेगा।

#### ● नियोजन की समय-सीमा तथा नियोजित युवाओं की ट्रेकिंग

- वीटीपी द्वारा प्रत्येक बैच के सफल युवाओं का नियोजन, प्रमाणीकरण के उपरांत 3 माह के भीतर किया जाना होगा, उक्त अवधि के पश्चात् नियोजित किये गये युवाओं का नियोजन संबंधित क्लेम नहीं किया जा सकेगा।
- नियोजित युवाओं का न्यूनतम 3 माह तक ट्रेकिंग किया जाना अनिवार्य होगा।
- नियोजित युवाओं की ट्रेकिंग राज्य प्राधिकरण द्वारा की जायेगी। शत्रु-प्रतिशत भौतिक सत्यापन का दायित्व जिला कौशल विकास प्राधिकरण का होगा।
- वीटीपी द्वारा नियोजित किये गये युवाओं के ट्रेकिंग में जानकारी गलत पाये जाने की स्थिति में आर्थिक दण्ड का प्रावधान होगा, जो उनके बैंक गारंटी में से अधिरोपित किया जा सकेगा।

● **नियोजन का सत्यापन :-**

○ **रोजगार की दशा में -**

- ऑफर लेटर / नियुक्ति पत्र में जिसमें नियोक्ता का पंजीयन संख्या/ लाईसेंस संख्या / जीएसटी संख्या का उल्लेख हो अथवा/एवं नियोक्ता द्वारा जारी सैलरी स्लिप को मान्य किया जायेगा।

○ **स्वरोजगार की दशा में -**

- प्रोपराईटरशिप का प्रमाण पत्र / ट्रेड लाईसेंस / जीएसटी संख्या / लोन संबंधित दस्तावेज / व्यवसाय के नाम पर चालु खाता संबंधित दस्तावेज को मान्य किया जायेगा।

रोजगार एवं स्वरोजगार प्राप्त प्रशिक्षणार्थी द्वारा शपथ पत्र दिया जाना होगा।

5. **प्रशिक्षण प्रदाताओं को प्रशिक्षण लागत का भुगतान की प्रक्रिया :-**

- **प्रथम किश्त :-** बैच आबंटन के 1 माह उपरांत प्रशिक्षण लागत की 20 प्रतिशत राशि का भुगतान प्रशिक्षण प्रदाता को किया जायेगा।
- **द्वितीय किश्त :-** मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण के उपरांत मूल्यांकन में उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों के आधार पर प्रशिक्षण लागत की 20 प्रतिशत राशि का भुगतान प्रशिक्षण प्रदाता को किया जायेगा।
- **तृतीय किश्त :-** मूल्यांकन में उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों के विरुद्ध नियोजन प्रतिशत के आधार पर शेष 60 प्रतिशत राशि का भुगतान प्रशिक्षण प्रदाता को किया जायेगा।
- **भुगतान की शर्तें :-**
  - कुल सफल प्रशिक्षणार्थियों में से 50 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों का वेतन मूलक रोजगार होना आवश्यक होगा। वीटीपी द्वारा तृतीय किश्त हेतु भुगतान का दावा अंतर्गत नियोजित युवाओं के विरुद्ध प्रत्येक भुगतान दावे में 50 प्रतिशत वेतन मूलक या अधिक हितग्राहियों का नियोजन प्रस्तुत करना होगा।
  - कृषि से संबंधित क्षेत्रों में प्रशिक्षण का संचालन केवल शासकीय वीटीपी के माध्यम से किया जायेगा। कृषि से संबंधित क्षेत्रों में 100 प्रतिशत स्वरोजगार मान्य होगा।
  - वीटीपी द्वारा प्रशिक्षण राशि की मांग किये जाने पर, सत्यापन उपरांत वीटीपी को 15 दिवस के भीतर राशि का ऑनलाईन भुगतान किया जायेगा।

6. **ऑडिट रिपोर्ट :-**

- समस्त पंजीकृत वीटीपी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष का ऑडिट रिपोर्ट अप्रैल माह में जिला कौशल विकास प्राधिकरण में जमा करना अनिवार्य होगा।